

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,

प्रिन्सपल बेंच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

कोपेरनियस मार्ग नई दिल्ली ।

विषय - अरिजनल ऐप्लिकेशन 219/2024 के संबंध में ।

महोदय,

गाटा संख्या 403, 404 जिस पर तालाब दर्ज है और इन्ही गाटा संख्याओ पर चार कॉलेज कि कूट रचित दस्तावेजों से मान्यता लेने के संदर्भ में निम्न तथ्य निम्न प्रकार है।

1. गाटा संख्या 403 व 404 चकबंदी पूर्व गाटा संख्या 311 से बना हुआ है 1359 फसली वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा संख्या 311 तालाब दर्ज है तालाब की भूमिका स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 22/9/2023 पर प्रस्तावित मेसको इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी का मानचित्र 222/2023 को निरस्त कर दिया और मेस्को पब्लिक स्कूल और राशिदा बेगम मुस्लिम विद्यालय के पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को भी तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 7/3/2024 को निरस्त कर दिया गया। **(संलग्नक 1,2,3,4)**
2. महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने आईजीआरएस संख्या 40013724006029 के संबंध में बताया कि गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हेक्टेयर गाटा संख्या 404 रकबा 0.717 हेक्टेयर के 2/3 भाग यानी 0.478 हेक्टेयर में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा बना हुआ है जबकि श्री कमाल फारूकी ने मेसकों इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा की मान्यता/संबद्धता में दिए गए शपथ पत्र में मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी की भूमि में भी गाटा संख्या 402 रकबा 0.162 व गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हेक्टेयर भूमि में मेसकों इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा के लिए भी दिखाई गई है। **(संलग्नक 5,6,7,8,9)**
3. मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी की मान्यता/संबद्धता के समय जो भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र लगाया गया था आरटीआई में ज्ञात हुआ कि कार्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र मैं मेस्को इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा को जारी नहीं किया गया है संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 24/1/2018 को जारी होना अंकित है जबकि शासन की अधिसूचना दिनांक 21/7/2022 तक निजामपुर गरबी नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं था और उस समय के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री सुखवीर सिंह जी (पी0 सी0 एस0) से संदर्भित प्रमाण पत्र पर हुए हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी चाहिए गई जिसमें श्री सुखवीर सिंह जी ने अवगत कराया की भूस्वामित्र प्रमाण पत्र दिनांक 24/1/2018 पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगर पालिका का कूट रचित दस्तावेज बनाकर मान्यता/संबद्धता के मानक अनुसार कम भूमि पर मान्यता/संबद्धता लेने के लिए व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रमाण पत्र का विभागों में प्रयोग किया गया है। **(संलग्नक 10,11)**

4. मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा की मान्यता/संबद्धता में अग्रिशमन विभाग का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र लगाया गया जो आरटीआई के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त प्रमाण पत्र अग्रिशमन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है और ना ही सत्यापित है। (संलग्नक 12,13)
5. मेस्को पब्लिक स्कूल धनौरा रोड अमरोहा की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमरोहा द्वारा प्रदान की गई मान्यता भी दिनांक 30/6/2016 को समाप्त हो चुकी है उसके पश्चात भी स्कूल को संचालित किया जा रहा है। जो नियम विरुद्ध है। मेस्को पब्लिक स्कूल धनौरा रोड अमरोहा की बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 7358 वर्ग मीटर दिखाया गया है जबकि सीबीएसई की मान्यता/ संबद्धता में विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 14978 वर्ग मीटर दिखाया गया है और मेस्को पब्लिक स्कूल के स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 में कुल रकबा 9958 वर्ग मीटर पर स्वीकृत है। संस्था के अध्यक्ष श्री कमाल फारुकी ने विभागीय लाभ लेने के कारण विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल में भी हेरा फेरी की है। मेस्को पब्लिक स्कूल धनौरा रोड अमरोहा का पूर्णता प्रमाण पत्र भी गाटा संख्या 403, 404, 405, 398, 399 पर दिखाया गया है। (संलग्नक 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)
6. जबकि उपरोक्त गाटा संख्या पर राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड अमरोहा और मेस्को इंस्टिट्यूट आफ़ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा बने हुए हैं। और मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग एण्ड पेरा मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक कॉलेज की भी मान्यता ली गई है। (संलग्नक 24,25)

मानचित्र संख्या - 354/2012 – गाटा संख्या 398,399,402,403,404 (संलग्नक 26)

मानचित्र संख्या – 608/2011– गाटा संख्या 398,399,403,404,405 पार्ट (तालाब पर बने होने के कारण निरस्त) (संलग्नक 27)

मानचित्र संख्या –96/2020–गाटा संख्या 398,399,404,405 (तालाब पर बने होने के कारण निरस्त) (संलग्नक 28)

मानचित्र संख्या - 222/2023 – प्रस्तावित मानचित्र मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मसी अमरोहा। (तालाब पर बने होने के कारण निरस्त)

पीसीआई के SIF 2024-25 में मेस्को इंस्टिट्यूट आफ़ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा का मानचित्र संख्या 222/2023 तालाब पर बने होने के कारण निरस्त होने के पश्चात संस्था ने किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मानचित्र और मेस्को इंस्टिट्यूट आफ़ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो गहन जांच का विषय है। (संलग्नक 29)

दिनांक: 27/08/2024

संलग्नक - 1 से 29 तक

प्रार्थी 

डॉ सैय्यद अशहर तौसीफ

निवासी मोहल्ला गश्तियान अमरोहा थाना
अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा। 8218533746,
9897629400

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

पत्रांक 51 / वि०क्ष०अमरोहा/सू०अ०अ०-2005 / 2023-24

दिनांक:- 15/01/24

सेवा में,


श्री सैय्यद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन
निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा।
मो० नं०-8218533746, 9897629400

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वॉछित सूचना का प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की सेवा में पंजीकृत डाक से प्रेषित प्रार्थना दिनांक 04.08.2023 आवेदन दिनांक 26.08.2023 पोस्टल आर्ड सं० 56एफ365756 के माध्यम से चाही गयी वॉछित सूचना निम्नवत है।

उपरोक्त विषयक में आपको अवगत कराना है कि बिन्दु सं० 07 के वॉछित सूचना के संबंध में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी ग्राम निजामपुर गर्वी धनौरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2023 दिनांक 18.12.2023 को निरस्त किया गया है। बिन्दु सं० 08 के संबंध में निरस्त मानचित्र की प्रमाणित कापी प्राप्त करने हेतु कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क बैंक में जमा कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते है।


जन सूचनाधिकारी,

कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रतिलिपि:- उप जिलाधिकारी अमरोहा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-अमरोहा।

पत्रांक: 29 / वि०क्ष० / आई०जी०आर०एस० / 2024

दिनांक 08/01/2024

विषय:- आई०जी०आर०एस० प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत सं० 40013723020365 की
जांच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भ संख्या: 40013723020365 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारुखी, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के नाम गाटा सं० 398 रकबा 0.19 है०, गाटा सं० 399 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 402 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 403 रकबा 0.295 है० व गाटा सं० 404 रकबा 0.717 है० व गाटा सं० 405 रकबा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्ही गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्को पब्लिक स्कूल, फार्मसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा सं० 403 व 404 पर चकबन्दी पूर्व गाटा सं० 311 से बना हुआ है 1359 फ० वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं० 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के संबंध में कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र, अमरोहा से जांच कराई गयी। अवर अभियन्ता की जांच आख्या दिनांक 08.01.20234 के अनुसार प्रश्नगत उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारुखी, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय के नाम गाटा सं० 398 रकबा 0.19 है०, गाटा सं० 399 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 402 रकबा 0.162 है०, गाटा सं० 403 रकबा 0.295 है० व गाटा सं० 404 रकबा 0.717 है० व गाटा सं० 405 रकबा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्ही गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्को पब्लिक स्कूल, फार्मसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा सं० 403 व 404 पर चकबन्दी पूर्व गाटा सं० 311 से बना हुआ है 1359 फ० वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं० 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, पर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार की आख्या दिनांक की आख्या दिनांक 22.09.2023 पर प्रस्तावित मानचित्र 222/2023 को निरस्त किया जा चुका है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-अमरोहा।

पत्रांक: 265 / वि०क्ष० / आई०जी०आर०एस० / 2024

दिनांक 27/03/24


विषय:- आई०जी०आर०एस० प्रणाली के अन्तर्गत शिकायत सं० 41013724000030 व
40013724003510 की जांच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भ संख्या: 41013724000030 व 40013724003510 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा चेयरमैन कमाल फारुखी द्वारा मानचित्र सं० 608/2011 व 96/2020 गाटा सं० 398 रक्बा 0.19 है०, गाटा सं० 399 रक्बा 0.162 है०, गाटा सं० 402 रक्बा 0.162 है०, गाटा सं० 403 रक्बा 0.295 है० व गाटा सं० 404 रक्बा 0.717 है० व गाटा सं० 405 रक्बा 0.263 पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर इन्ही गाटा संख्याओं पर राशिदा बेगम महाविद्यालय, मेस्को पब्लिक स्कूल, फार्मसी व आदि संस्थाओं की मान्यता ली गयी है। गाटा सं० 403 व 404 पर चकबन्दी पूर्व गाटा सं० 311 से बना हुआ है 1359 फ० वर्ष के अनुसार खसरें में गाटा सं० 311 तालाब दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के संबंध में मानचित्र सं० 608/2011 व 96/2020 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा जांच करायी गयी। अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की आख्या दिनांक 22.03.2024 के अनुसार शिकायतकर्ता श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ निवासी मौहल्ला गश्तियान अमरोहा द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि चेयरमैन कमाल फारुखी द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं० 608/2011 व 96/2020 को तहसीलदार अमरोहा की आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा दिनांक 07.03.2024 को निरस्त कर दिया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा
पत्रांक: 288/वि0क्ष0अमरोहा/2023-24 दिनांक:- 07/03/2024

प्रबन्धक समिति राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय
प्रबन्धक मेस्को पब्लिक स्कूल
ग्राम निजामपुर गर्वी घनीरा रोड
जनपद अमरोहा।

विषय- मानचित्र संख्या 96/2020 व 608/2011 के संबंध में।
महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्रांक संख्या 1501/वि0क्ष0अमरोहा/2023 दिनांक 26.09.2023 व पत्रांक संख्या 1779/वि0क्ष0अमरोहा/2023 दिनांक 27.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावित मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी ग्राम निजामपुर गर्वी, घनीरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 222/2022 पर स्वागित्व संबंधी जांच हेतु कार्यालय के पत्र सं0 1296/वि0क्ष0 अमरोहा/2023 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा तहसीलदार अमरोहा को पत्र प्रेषित किया गया था।

तहसीलदार अमरोहा की जांच आख्या दिनांक 22.09.2023 के अनुसार मानचित्र सं0 222/2023 प्रस्तावित प्रस्तावित मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी ग्राम निजामपुर गर्वी, घनीरा रोड अमरोहा गाटा सं0 398, 402, 403, 404 में से गाटा सं0 404, 403 पर चकबंदी पूर्व गाटा सं0 311 से बना है। 1359 फ0 वर्ष के अनुसार खसरे में गाटा सं0 311 'तालाब' दर्ज है, तालाब की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, के आधार पर मानचित्र सं0 222/2023 दिनांक 18.12.2023 को निरस्त कर दिया गया है तथा कार्यालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र सं0 608/2011 व 96/2020 पर भी कार्यालय के पत्र संख्या 1779/वि0क्ष0अमरोहा/2023 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा तहसीलदार अमरोहा से पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में सम्मिलित गाटा सं0 404 व 403 पर 'तालाब' के संबंध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिस पर तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 के अनुसार लेखपाल श्री सचिन यादव, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान खतौनी फ0 वर्ष 1428-1433 खाता सं0 253 गाटा सं0 404 रकबा 0.717 है0 श्रेणी-1(क) (भूमि जो संकमणीय भूमिघरों के अधिकार में है) पर राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा द्वारा प्रबन्धक श्री नासिर हसन पुत्र शमशुल हसन निवासी मौहल्ला सददो अमरोहा, श्री कमाल अहमद फारुखी निवासी त्रिपोलिया अमरोहा का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि ग्राम निजामपुर गर्वी वर्तमान गाटा सं0 404, 403 व चकबंदी पूर्व गाटा सं0 311 में क्रमशः चकबंदी आकार पत्र 41 व 1359 खसरे के विशेष विवरण में 'तालाब' दर्ज है जबकि चकबंदी आकार पत्र 45 तथा खतौनी 1359 फ0 पर काश्तकारों के नाम दर्ज है। यहां यह उल्लेख किया गया है कि श्री मुस्तकीम लेखपाल अहमद की आख्या दिनांक 5.08.2012 में चकबंदी आकार पत्र 45 व 1359 खतौनी का उल्लेख है किन्तु चकबंदी आकार पत्र 41 व 1359 फ0 खसरे का उल्लेख नहीं है।

अतः तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 से स्पष्ट है कि ग्राम निजामपुर गर्वी गाटा सं0 403 व 404 व चकबंदी पूर्व गाटा सं0 311 में क्रमशः चकबंदी आकार पत्र 41 व 1359 खसरे के विशेष विवरण में 'तालाब' दर्ज है। 'तालाब' की भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार अमरोहा की आख्या दिनांक 30.01.2024 के आधार पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र संख्या 608/2011 व 96/2020 को निरस्त किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर गाटा सं0 403 व 404 को सम्मिलित न करते हुये पूरे भूखण्ड का शमन मानचित्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आप द्वारा किये गये निर्माण को अवैध घोषित करते हुये आपके विरुद्ध आर0बीओ0 एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा



महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.यू.वि./कु.सा.का./2024/415

दिनांक : 05.07.2024

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विषय-जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश पर दर्ज आई0जी0आर0एस0 संख्या-40013724006029 के निस्तारण के सम्वन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक-डिग्री आई0जी0आर0एस0/297/2024-25 दिनांक 21.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अभिलेखानुसार राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: ई.स./5329/जी.एस. दिनांक 01.10.2004 द्वारा राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, जे0पी0 नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2004 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्वद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: ई.स./710/जी.एस. दिनांक 09.06.2006 द्वारा राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, जे0पी0 नगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2005 से सम्वद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई है। (छायाप्रतियाँ संलग्न हैं)

महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार गाटा संख्या 403 रकबा 0.295 हे0, गाटा संख्या 404 रकबा 0.717 हे0 के 2/3 भाग यानि 0.478 हे0 में राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा बना हुआ है व गाटा संख्या 398 रकबा 0.890 हे0 में 1/9 भाग अर्थात् 0.098 हे0 जो महाविद्यालय से सम्वन्धित है और एक दूसरे से जुड़े हुए है। महाविद्यालय के नाम कुल भूमि 0.871 हे0 है।

कृपया उक्त सूचना से अवगत होते हुए प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करें।


संलग्नक: उर्युक्तानुसार।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
3. निजी सचिव-कुलपति।


कुलसचिव

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

पत्रांक 52 / वि०क्षे०अमरोहा / सू०अ०अ०-2005 / 2023-24

दिनांक:- 15/01/24

सेवा में,


श्री सैय्यद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन
निवासी मौहल्ला गरितयान अमरोहा।
मो० नं०-8218533746, 9897629400

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वॉछित सूचना का प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,


कृपया आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की सेवा में पंजीकृत डाक से प्रेषित प्रार्थना दिनांक 04.08.2023 आवेदन दिनांक 26.08.2023 पोस्टल आर्ड सं० 56एफ365757 के माध्यम से चाही गयी वॉछित सूचना निम्नवत है।

उपरोक्त विषयक में आपको अवगत कराना है कि बिन्दु सं० 07 के वॉछित सूचना के संबंध में राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय बीएड कालेज ग्राम निजामपुर गर्वी धनौरा रोड अमरोहा मानचित्र संख्या 96 / 2020 दिनांक 31.12.2020 को स्वीकृत किया गया है। बिन्दु सं० 08 के संबंध में निरस्त मानचित्र की प्रमाणित कापी प्राप्त करने हेतु कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क बैंक में जमा कर छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।


15/01/24
जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रतिलिपि:- उप जिलाधिकारी अमरोहा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जन सूचनाधिकारी,
कार्यालय नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 793166


संलग्नक-2

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2018-19 में स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण के समय प्रस्तुत किए जाने वाला नोटरी शपथ पत्र

हम **कमाल फारुखी (अध्यक्ष)** एवं **सै0तोसीफ हसन (सचिव)** क्रमशः **अध्यक्ष एवं सचिव - राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड, अमरोहा** (सोसाइटी ट्रस्ट का बंदि एवं प्रस्ता) द्वारा अधिमूर्तक निम्नवत वयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा **मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड, अमरोहा** (संस्था का नाम एवं पता) नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्था की स्थापना सत्र 2018-19 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह है कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट के नाम **निजामपुर गरबी धनौरा रोड, अमरोहा** (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या **402 एवं 403** रकबा क्रमांक **0.162 एवं 295** हेक्टेयर (कुल रकबा **.457** हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त भूमि पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **402 एवं 403** रकबा क्रमांक **0.162 एवं 295** हेक्टेयर (कुल रकबा **.457** हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्था की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा बंदि दिनांक **08-10-2016** द्वारा प्रस्तुत किया गया है।



(अभिमान)

जनसूचना
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 793167

संलग्नक-3

प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके डिप्लोमा स्तरीय संस्कारों की शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं अथवा सत्र 2018-19 से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के व्यक्तिगत हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए जाने वाला नोटरी शपथ पत्र :-

हम कमाल फारुखी (अध्यक्ष) एवं सैतोसीफ हसन (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव राशिदा वेगम मुस्लिम नहाविद्यालय धनौरा रोड, अमरोहा (सोसाइटी ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अ मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड, अमरोहा (प्रस्तावित)

व _____

स _____

द _____

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है:-

क्रम संख्या	पता	जोटा संख्या	भूमि/का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1.	2		4	5
2.	निज़ामपुर गरबी, धनौरा रोड, अमरोहा	402, 403	0, 162, 295	.457
3.				

President

(अभिमान्य) 
 प्राविधिक किरा गरीबद
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ

यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1.	2	3	4	5	6	7
1.	राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड, अमरोहा	मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड, अमरोहा	निज़ामपुर गरवी, धनौरा रोड, अमरोहा	402, 403	0.162, .295	.457

कि उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारंभ के समय की है एवं इसमें कालांतर में कोई बदलाव किया गया है।

कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत बदलाव किया गया है और आज की तिथि का विवरण निम्नवत है: -

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
2	राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय धनौरा रोड, अमरोहा	निज़ामपुर गरवी, धनौरा रोड, अमरोहा	402, 403	0.162, .295	.457
3					

कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि आवंटित की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में नूतन किया जाएगा

Solemnly affirmed by Shri/Smt./Krn. _____
deponent who is identified by Shri/Smt./Krn. _____
Clerk of Shri/Smt./Krn. _____ Advocate on _____
I have satisfied my self after examining the deponent that
he/she/it understands the contents of the affidavit and the same
has been read over and explained to him.
Recorded Rs. _____ as fee
Sl. No. _____
DALIP NARAIN MATHUR
Advocate/Notary Public
District Court
P. Nagar, Reo. No. 615/54
12.4.18
Prani

28.67

जनसंघ महाविद्यालय

प्राविधिक परिषद

उत्तर प्रदेश

कार्यालय
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

पत्रांक- 40 410 40 20/10/20

दिनांक- 24-01-2018

सू-स्वामित्व प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय ग्राम- निजामपुरगर्वा, घनोजरा रोड़, अमरोहा (उ०प्र०) के खसरा नं० 402 व 403 कुल रकबा 1.12 एकड़ भूमि पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी हेतु भवन निर्माण किया गया है। अतः इस भवन का उपयोग केवल मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी के लिए ही किया जाएगा। एवं भविष्य में इस भवन पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी का ही स्वामित्व होगा।



Rashida Begum Muslim Education Society

President

अधिकांशी अधिकारी
अधिकांशी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
नगर पालिका परिषद
अमरोहा

(अभिमान्य प्रमाण)
जनसुधामा १००
प्रतिष्ठित विद्या मठ
उत्तर ६६, अमरोहा

कार्यालय नगर पालिका परिषद अमरोहा जनपद-अमरोहा
पत्रांक:- 1035/का0अ0/2023 नोंकांक:- 28/12/2023
नोटिस

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी
निजामपुर गर्बी, धनौरा रोड, अमरोहा

अवगत कराना है कि श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व0 श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गशितयान, अमरोहा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.10.2023 में अनुरोध किया है कि आपके द्वारा आपके विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ को प्रस्तुत अभिलेखों में मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी निजामपुर गर्बी धनौरा रोड, अमरोहा के नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जारी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया है। उक्त जानकारी/अभिलेख श्री सैयद अशहर तौसीफ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ से प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा इस कार्यालय से उक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन करने का अनुरोध उक्त जनसूचना आवेदन के माध्यम से किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी निजामपुर गर्बी धनौरा रोड, अमरोहा को जारी नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र इस कार्यालय से दिनांक 24-01-2018 को जारी होना अंकित है जबकि निजामपुरगर्बी क्षेत्र शासन की अधिसूचना दिनांक 21-7-2022 तक इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्र का सम्मिलित क्षेत्र भी नहीं था तथा वर्ष 2018 में ऐसा कोई प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी नहीं किया जा सकता था। उक्त से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद अमरोहा के नाम से कूटरचित प्रमाण पत्र (अभिलेख) अन्य शासकीय विभागों में अवैध रूप से प्रयोग किया गया है। प्रथमदृष्टया प्रकरण अवैध रूप से शासकीय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कूटरचित अभिलेखों को बनाये जाने की गम्भीर प्रवृत्ति का है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष इस नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें कि आप द्वारा इस कार्यालय के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ को प्रस्तुत क्यों किया गया ? निर्धारित समयावधि अन्तर्गत आपके द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में लिखित पक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर यह मानते हुये कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदानुसार कूटरचित शासकीय अभिलेखों का उपयोग किये जाने के आरोप में सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरोहा

प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 2-श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व0 श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गशितयान, अमरोहा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरोहा
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अमरोहा

प्रेषक,

सेवा में,

अधिकांसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अमरोहाजिलाधिकारी महोदय
अमरोहा

पत्रांक:- 442 / का0अ0 / 2024

विषय:-
महोदय,

दिनांक:- 28/06/2024

आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत ऑनलाईन सन्दर्भ संख्या 40013724009221 के संबंध में।

निम्नवत् है:-

कृपया उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 40013724009221 की अनुपालन आख्या

1. क्या राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है:-हाँ

1	प्रथम गवाह का नाम	श्री अंजार अहमद
2	प्रथम गवाह का मोबाइल नं०	9319139301
3	द्वितीय गवाह का नाम	श्री कामयाव अली
4	द्वितीय गवाह का मोबाइल नं०	9837116514
5	सुनने वाले/जॉच अधिकारी का नाम	श्री असद जमाल, मो०नं० 9837194407
6	सुनने वाले जॉच अधिकारी का पदनाम	कार्यालय अधीक्षक
7	जिसे सुना गया उसका नाम व पता	श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गरितयान, अमरोहा
8	जिसे सुना गया उसका मोबाइल नं०	8218533746
9	स्थल जहां सुना गया	कार्यालय आख्यानुसार
10	सुनवाई का दिनांक	27.06.2027

अधिकारी की आख्या- कृपया संलग्न आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या 40013724009221 जो श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गरितयान, अमरोहा द्वारा योजित है, जिसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड, अमरोहा पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, के अनुपालन में अवगत कराना है कि श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व० तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गरितयान अमरोहा के द्वारा जनसूचना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जनसूचना के साथ प्रमाण पत्र संलग्न कर अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा की मान्यता से सम्बन्धित उन अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गयी थी जो अध्यक्ष कमाल फारूकी द्वारा उक्त संस्था की मान्यता के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये थे। उक्त के क्रम में आवेदक को प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की छायाप्रतियों में नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जारी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की गयी कि नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा दिनांक 24.01.2018 को राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा के सम्बन्ध में उक्त भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है अथवा नहीं, संलग्न प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक अवधि में ग्राम निजामपुर गर्बी नगर पालिका परिषद अमरोहा की सीमा अन्तर्गत आता था अथवा सीमा से बाहर था व उक्त आशय का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जारी किया जाता है अथवा नहीं (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी अमरोहा को नोटिस पत्रांक 1035/का0अ0/20223 दिनांक 28.12.2023 जारी कर उनका पक्ष चाहा गया (छायाप्रति संलग्न), जिसके उपरान्त मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी द्वारा नोटिस के क्रम में दिनांक 06.01.2024 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1155/ का0अ0/2024 दिनांक 12.02.2024 द्वारा श्री सुखवीर सिंह, पी0सी0एस0/तत्कालीन अधिकांसी अधिकारी से सन्दर्भित प्रमाण पत्र पर हुये तत्कालीन अधिकांसी अधिकारी के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी (छायाप्रति संलग्न), श्री सुखवीर सिंह, पी0सी0एस0 प्रधान प्रबन्धक किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नजीबाबाद जनपद विजनौर द्वारा कार्यालय पत्रांक 3835 दिनांक 16.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2018 पर उनके हस्ताक्षर नहीं है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 315/का0अ0/2024 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय को प्रेषित कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में अप्रैत कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय द्वारा की जानी है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार शिकायत को निस्तारित करने का कष्ट करें।

मिर्दीय

अधिकांसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा
 पत्र सं०: एफएस-सीएफओ-2022(सू0अ0अधि0)/995
 सेवा में, सहायक जनसूचना अधिकारी / क्षेत्राधिकारी मण्डी धनौरा, जनपद अमरोहा।
 दिनांक-नवम्बर 13, 2023

कृपया अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी जन सूचना जनपद अमरोहा महोदय के पत्र दिनांक: 31.10.2023 पर आपके पृष्ठांकन दिनांक: 01.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व० श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गश्तियान, अमरोहा को राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्तानुसार प्रतिष्ठान हेतु निर्गत प्रमाण पत्र की उपलब्ध करायी गयी छायाप्रति को सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अमरोहा से आख्या प्राप्त की गयी, उनके पत्र संख्या: एफएस-2023(सू0अ0अधि0)/207 दिनांक: 09.11.2023 के (मूल रूप में संलग्न) एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार अवगत कराना है कि राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा हेतु संलग्न किया गया प्रमाण पत्र संख्या: सी-93/एजुकेशनल-93/सीएफओ/प्रयोज्यता/2017 दिनांक: 25.09.2017 अग्निशमन विभाग कार्यालय जनपद अमरोहा से जारी नहीं किया गया है। अतः संलग्न प्रमाण पत्र जनपद अग्निशमन विभाग से सत्यापित नहीं है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(Signature)

13/11/2023

(अनिल कुमार सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

जनपद-अमरोहा।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद/अमरोहा

पत्रांक : सी-93 / एजुकेशनल-93 / सीएफओ / प्रयोज्यता / 2017

दिनांक: 25 सितंबर 2017

सेवा में,

सचिव

राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा

मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी

धनौरा रोड, अमरोहा।

विषय:- मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों के संबंध में प्रयोज्यता प्रमाण पत्र।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आपके प्रार्थना पत्र पत्रांक: एम0 ई0 एफ0/अग्नि सुरक्षा उपकरण/2017 दिनांक 08.07.2017 के अनुसार उक्त वर्णित भवन का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया, तो निरीक्षण के दौरान वर्णित भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे अग्निशामक उपकरण क्रियाशील दशा में सन्तोषजनक है। परिसर में उपलब्ध स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी दी गयी है तथा अग्निशामक उपकरणों की निर्धारित टैस्टिंग/रिफ्लिंग फीस चालान संख्या 3563 दिनांक 08.07.2017 को रु0 200/- राजकीय कोषागार में जमा करायी है इस प्रकार प्रत्येक वर्ष वर्णित भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे अग्निशमन उपकरणों का अग्निशमन विभाग से निरीक्षण / परीक्षण करा कर उनकी फिस राजकीय कोषागार में जमा कराकर उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रयोज्यता प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा।

उक्त वर्णित भवन में स्थापित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में लगे अग्निशामक उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना व उन्हें चिन्हित स्थानों पर लगाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबंधक का होगा, तथा फायर के फिक्स इन्सटालेशन को माह में एक बार उपलब्ध कर्मचारियों की फायर ड्रिल कराकर चैक कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/अनियमित पाये जाने पर निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का एक वर्ष 21.08.2018 तक के लिए प्रयोज्यता पत्र निर्गत किया है।

(अभिगन्तक)
जनसूचना
प्राविधिक विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
Rashida Begam
मुरादाबाद/अमरोहा

प्रेषक:-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा।
सेवा में,

प्रबन्धक

मैस्को पब्लिक स्कूल धनौरा रोड, अमरोहा, वि०ख० अमरोहा, जनपद अमरोहा
पत्रांक - खे० (2)/ 3438-42 /2013-14 दिनांक 29-6-13
विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 31.10.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश सं० 419/79-6-2013-18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित प्राविधानानुसार मण्डलीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, मैं मैस्को पब्लिक स्कूल धनौरा रोड, अमरोहा, वि०ख० अमरोहा, जनपद अमरोहा (विद्यालय का नाम पते सहित) को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक में खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सञ्चालन न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - II. किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुल्कता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकाथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

शेष पृष्ठ 2 पर

-2-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुंच

7358 वर्ग मी०

5640 वर्ग फुट

2000 वर्ग फुट

10

3

2

1 हैण्डपम्प 1 टंकी

-

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक URSE/1887/13 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है और समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित और सुनिश्चित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कर लें या विद्यालय के कार्यक्रमों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(मौ० अल्लाफ)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

पत्रांक - बे० (2) / 2013-14 दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद-अमरोहा

Phone: 011-22520242 (Technical Query)
Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affil.)
Fax: 011-22540655



E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI - 110 092
REGD./SPEED POST

No. CBSE/Aff/2132349/ SL-01560-1617/2016 / 1135727
The Manager,
Mesco Public School,
Dhanura Road, Amroha,
Distt Jyotiba Phule Nagar,
Uttar Pradesh- 244 221.

Dated 23/09/2016

Sub: Fresh Composite Provisional Affiliation upto Secondary level - regarding.

Sir/Madam,

With reference to your online application dated 30.06.2015 on the subject cited above, I am directed to convey the sanction for Composite Provisional Affiliation for Secondary School Examination of the Board for a period of three years w.e.f. 01.04.2016 to 31.03.2019.

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-


- The affiliation Code Number allotted to your school is 2132349. This may please be noted and quoted for any further correspondence with the Board.
- The school will implement Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) as per the schemes of the Board upto Classes X vide Circular No. 39/20-09-2009 dated 20.09.2009 in the school.
- The school will follow the syllabus on the basis of curriculum prescribed by NCERT/CBSE and text books publishing by NCERT/CBSE for the Middle Classes. The school will follow syllabus and courses as per scheme of studies prescribed by the Board for Secondary/Sr. Secondary School Examination and changes made therein from time to time.
- The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt from time to time.
- The school will enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in the Affiliation Bye-Laws of the Board which shall not in general exceed the optimum number as under :-

	Campus area	Enrolment	No. of Sections (pre-primary to X)
(a)	1.0 acre	1250	02 in each class
(b)	1.5 acre	1875	03 in each class
(c)	2.0 acre	2500	04 in each class
(d)	School running on bigger campus of more than 02 acres, the number of students shall be restricted as per the actual facilities in the school which shall be proportionate to the optimum number mentioned at (a), (b) and (c) above.		
(e)	Schools running on less than 01 acre campus shall restrict number of students as follows:-		
	Category	Area of land	No. of students
(i)	Secondary School	2000 sq. mtrs	600 upto Class X
(ii)	Sr. Secondary School with two streams	3000 sq. mtrs	900 upto Class XII
- The school will provide well equipped Laboratories, Library and other facilities as per norms of the Board. The relevant books to the academic level of students to be made available in the library and would keep at least 05 books per student subject to a minimum of 1500 books excluding text books.
- The school will also abide itself by the conditions of affiliation already prescribed by the State Government concerned.
- As per Affiliation Bye-laws the optimum strength of a section should not exceed more than 40 students.
- School should have at least one adequately equipped computer lab with a minimum of 10 computers and would ensure computer student ratio of 1:20 at least. Proper software along with facility of Broad Band connectivity with the feature of 'internet always on' 56 from any service provider to be ensured.
- The section teacher ratio of 1:1.5 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- The school and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the Board or an authorized representative of the Board/State Educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.
- The school will strictly adhere with all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students.

2

-2-

13. 5-6 names of persons not below the rank of Principal of Sr. Secondary School affiliated with the Board be recommended so that two of them may be approved by the Board as its nominees in the School Managing Committee. Of these 2-3 may be Principal of KV/JNV.
14. The school will create Reserve Fund as per the requirement of the Affiliation Bye Laws.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared in the name of school, as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the Board every year.
16. It is mandatory for every affiliated school to become a member in the local Sahodaya of CBSE schools.
17. The Board would not allow any transfer of property/sale of school by one society/ Management/ Trust to another Society/Management/Trust through agreement/sale deed and the school shall not be closed down in the same premises. In case such transaction is effected explicitly or implicitly the Board shall withdraw its affiliation with immediate effect.
18. The school should not start Class XI/XII without written approval of the Board. The Board shall not be responsible for any consequences in case class XI/XII is started without following the Affiliation Bye Laws and obtaining the prior approval of the Board.
19. The school will apply for further Extension of Provisional Affiliation 'on online' through www.cbseaff.nic.in with the prescribed fee of Rs. 25,000/- and other essential documents before 30th June of the preceding year before the expiry of the date of provisional affiliation otherwise penalty @ Rs 10,000/- p.m. subject to maximum Rs 50,000/- will be charged for late execution of application.
20. The school will open CBSE pattern classes IX w.e.f. 01.04.2016. Accordingly, 1st Batch of class X of the school will be appeared at the Board's Examination to be held in the year 2018.
21. School will provide physical facilities as per norms of the Board. The facilities reported at the time of last inspection are as given under-
- | | | |
|--------|---|---|
| (i) | Area of school campus | - 9958+5020= 14978 Sq. mt |
| (ii) | Total built up area | - 2637 mtrs |
| (iii) | Area of play ground | - 2637 mtrs |
| (iv) | No. of class rooms | - 16 (26.3x20') |
| (v) | No. of labs | - 05 |
| (vi) | Composite Science Lab | - 22.2' x 46.3' sq feet |
| (vii) | Physics Lab | - 27.7' x 22.2' sq feet |
| (viii) | Bio Lab | - 30' x 20' sq feet |
| (ix) | Maths | - 11.1' x 5.8' sq feet |
| (x) | Computer Science | - 30x9.0 sq feet |
| (xi) | Size and number of books in the Library | 68.5' x 39.9' sq feet, No. of Books 2773. |
22. Other conditions as per enclosed Annexure 'A'.

Yours faithfully,

 DEPUTY SECRETARY (AFF)
 22/9/16

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

पत्रांक 50 / वि०क्ष०अमरोहा / सू०अ०अ०-2005 / 2023-24

दिनांक:- 15/01/24

सेवा में,

श्री सैय्यद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन

निवासी सोहल्ला गशियान अमरोहा।

सो० नं०-8218533746, 9897629400

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत योछित सूचना का प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपकी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा की सेवा में पंजीकृत डाक से प्रेषित प्रार्थना दिनांक 04.08.2023 आवेदन दिनांक 26.08.2023 पोस्टल आर्ड सं० 56एफ365758 के माध्यम से चाही गयी योछित सूचना निम्नवत है।

उपरोक्त विषयक में आपको अवगत कराना है कि बिन्दु सं० 07 के योछित सूचना के संबंध में 'असद फाउंडेशन ट्रस्ट' द्वारा संचालित मेस्को पब्लिक स्कूल ग्राम निजामपुर गर्वी घनौरा रोड अमरोहा द्वारा मानचित्र संख्या 608/2011 दिनांक 13.07.2012 कुल रक्बा 9958.00 वर्ग मीटर पर स्वीकृत है। बिन्दु सं० 03 के संबंध में मानचित्र की स्वीकृत की प्रमाणित कापी प्राप्त करने हेतु कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा में उपस्थित होकर नियमानुसार 51/- शुल्क बैंक में जमा कर प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।

जन सूचनाधिकारी,

कार्यालय नियत प्राधिकारी,

विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

प्रतिलिपि:- उप जिलाधिकारी अमरोहा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जन सूचनाधिकारी,

कार्यालय नियत प्राधिकारी,

विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।



MUSLIM EDUCATIONAL SOCIAL AND CULTURAL ORGANISATION



Memorandum of Understanding

This MOU is executed on this 16th Day of April 20, 2011 in between Kamal Faruqui S/o Mr. Nafees Ahmad Faruqui R/o A-80, Nizamuddin East, New Delhi of the first part hereinafter referred to as Party No.1 and Muslim Education, Social & Cultural Organisation (MESCO) 22-1-1037/1 Shifa Khana Zohra, Darussifa, Hyderabad represented by Dr. Fakhruddin Mohammed S/o Dr Samsamuddin Mohammed of Hyderabad of the second part hereinafter referred to as Party No 2;

Whereas Party No 1 a known educational activist, owns about 2.5 acres of prime land at Dhanoura Road, Amroha adjacent to Rashida Begum Muslim Mahavidhyalaya. And whereas Amroha being a Muslim majority area lacks a modern CBSE affiliated school and Party No 1 has decided to establish a School at Amroha at the said piece of land:

And whereas Party No 2 being a social and educational organization extend its helping hand to all such projects by providing financial and managerial expertise to such institutions. And whereas MESCO has decided to extend an interest free accommodation of Rs.25 lacs to the Promoter to establish a school at Amroha on the terms and conditions mentioned here-under:

And whereas in order to successfully implement, manage & administer and to avoid any future dispute or misunderstanding it has been decided to reduce the terms and conditions of this MOU in writing. Hence this deed of MOU.

Now this Deed of MOU is witnesseth as under:

1. That a school shall be established on the site belonging to Mr. Kamal Faruqui at Dhanoura Road, Amroha under the name and style of MESCO Public School.
2. That the piece of land shall be given on a 30 years lease to MESCO Public School.

Fakhruddin



CHAIRMAN

Mesco Public School

Secretariat at : MESCO No. 22-1-1037/1, Shifa Khana Zohra, Darussifa, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500 024. INDIA.
Tel No. 01-40-24411007

कार्यालय नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र अमरोहा
 पत्रांक 7.12 वि०क्ष० / अमरोहा दिनांक 18/09/18

सेवा में,

श्री कमाल फारुकी चैयरमैन
 मैस्को पब्लिक स्कूल धनौरा रोड,
 अमरोहा।

विषय:— पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।
 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निजामपुर गर्वी धनौरा रोड अमरोहा के खसरा सं०
 403, 404, 405, 398, 399 पर निर्मित मैस्को पब्लिक स्कूल धनौरा रोड अमरोहा के
 सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र का परीक्षण अवर
 अभियन्ता विनियमित क्षेत्र अमरोहा द्वारा दिनांक 18.09.2018 को कर लिया गया है
 एवं विनियमित क्षेत्र द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है।

अतः पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

18/09/18



नियत प्राधिकार / उपजिलाधिकारी
 विनियमित क्षेत्र अमरोहा।

APPENDIX VI

File No.....

CERTIFICATE OF LAND

Date...07/02/18

Certified that land measuring 99.58 sq.mt (Area of land in Sq. meters) 398,399,403, situated in Nizamganj (Plot No. (s)/Survey No. (s) Khasra No. (s), at 404,405 described in the schedule mentioned hereinafter, is owned by Kamal Faruqi (Name of owner) in terms of Lease deed (give details of document deed - i.e. sale deed/ perpetual lease deed/ gift deed/ will/ trust deed or other document of title) dated 17.06.15 executed by 17.06.15 (date) at Serial No. 10132 in book no. 01 volume no. 7599 on page 385 to 396 (complete details of registration) in the office of Amroha (details of registration office). It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to..... (name of lease) vide lease deed dated 17.06.2015 for a period of 20 years duly registered on..... (date) at Serial No. 10132 in book no. 01 volume no. 7599 on page 385 to 396 (complete details of registration in the office of Amroha (details of registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that Mesco Public School, Dhansura Road, Amroha (Name of school with name of street/ village, sub-division and district) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 99.58 sq.mt (area of land in square meters) 398,399,403 situated in Nizamganj (Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)), at 404,405 AMROHA (name of street/ village, sub-division, district and state) and bounded as follows:

- North Road
- East Chak Road
- West Asi Chak
- South Asi Chak

DISTRICT MAGISTRATE/ REGISTERING AUTHORITY WITH DESIGNATION

Kul - 8.2.18
398 399 403
Amroha

(Name of Officer)
 (Name of District)
 Note: Strike off whichever is not applicable.

APPENDIX VI

CERTIFICATE OF LAND

File No.

Date 07/02/2018

Certified that land measuring 5020 sq. mt (Area of land in Sq. meters) situated in Nizamgarh garhi (Plot No. (s)/ Survey No. (s) Khasra No. (s), at 404, 405 Amroha (Name of street/ village, sub Division, district and state) fully described in the schedule mentioned hereinafter, is owned by Kamal Faruqui (Name of owner) in terms of lease land (give details of document/ deed - I.e. sale deed/ perpetual lease deed/ gift deed/ will/ trust deed or other document of title) dated executed by Duty registered on (date) at Serial No. 10/31 in book no. 01, volume no. 7599 on page 373 to 384 (complete details of registration) in the office of (details of registration office). It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to (name of lease) vide lease deed dated 17-06-2015 for a period of 30 years duly registered on 17-6-2015 (date) at Serial No. 10/31 in book no. 01, volume no. 7599 on page 373 to 384 (complete details of registration in the office of Amroha (details of registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that Mesco Public School, Dhenaur Rd (Name of school with name of street/ village, sub-division and district) is located on the said plot of land. Amroha

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 5020 sq. mt (area of land in square meters) situated in Nizamgarh garhi [Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)], at 404, 405 Amroha (name of street/ village, sub-division, district and state) and bounded as follows:

- North Garden
- East Plot No. Khara 404 RBM, Degree College
- West Garden
- South Road

DISTRICT MAGISTRATE/ REGISTERING AUTHORITY WITH DESIGNATION

Kul
07.02.18
30
Amroha

(Name of Officer)
(Name of District)

Note: Strike off whichever is not applicable.

APPENDIX VI

File No.....

CERTIFICATE OF LAND

Date...12/06/2018

Certified that land measuring 14977.99 sq. mt. (Area of land in Sq. meters) 398,399,
 situated in Amroha [Plot No. (s)/Survey No. (s)/Khasra No. (s)], at 403,404,405
 described in the schedule mentioned hereinafter, is owned
 by Kamal Faruqui (Name of owner) In terms of lease land
 (give details of document/ deed - i.e. sale deed/ perpetual lease deed/ gift deed/ will/ trust deed
 or other document of title) dated 17.06.2015 executed by
 Duly registered on 17.06.2015 (date)
 at Serial No. 10131-10132 in book no. 01, volume no. 7599 on page 373
 to 396 (complete details of registration) in the office of Amroha (details of registration office). It
 is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to..... (name
 of lease) vide lease deed dated 17.06.2015 for a period of 30 years
 duly registered on 17.06.2015 (date) at Serial No. 10131-10132 in book
 no. 01, volume no. 7599 on page 373 to 396
 (complete details of registration in the office of Amroha (details of
 registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that Mexco Public School Dhanaura road (Name
 of school with name of street/ village, sub-division and district) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 14977.99 sq. mt. (area of land in square meters) 398,399,
 situated in Amroha [Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)], at 403,404,405
 follows:

- North Road
- East Shak road
- West Harsh
- South Road

DISTRICT MAGISTRATE/ REGISTERING AUTHORITY WITH DESIGNATION

अ निबन्धक

(Name of Officer)
(Name of District)

अमरोहा

Note: Strike off whichever is not applicable.

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, ज्योतिवा फूले नगर।


संख्या- 355 / न्याय सहायक / 2012


दिनांक:- 04/05/2012

तहसीलदार


अमरोहा।


श्री कमाल फारुखी, चेगरगेन, मेरको पब्लिक स्कूल, अमरोहा तहसील अमरोहा जनपद ज्योतिवा फूले नगर को धनौरा अमरोहा कांठ मार्ग के किमी 0 19 पर स्थित ग्राम निजामपुर गर्वी के खसरा सं 0 403, 404, 405, 398, 399 पर उ०प्र०रोड साईड लैंड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत अनुमति दिये जाने हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आपकी आख्या दिनांक 06.02.2012 में उल्लेख किया गया है कि बंनाने व फर्द खतौनी के द्वारा स्वामित्व प्राप्त है, फर्द खतौनी संलग्न है परन्तु आपकी उक्त आख्या के साथ उक्त संदर्भित गाटों से संबंधित स्वामित्व संबंधित फर्द खतौनी आदि संलग्न नहीं की गयी है। अतः उक्त प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित गाटों से संबंधित स्वामित्व संबंधित अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


कृते जिला मजिस्ट्रेट,
ज्योतिवा फूले नगर।




लीजिस्ट व
उक्त के फर्द अर्थात् कि / म ए डेविस किंग के लार्ड म ए जे सी ए
आपके फर्द के फर्द अर्थात्


4/5/12


Tehsil
4/5/12
तहसीलदार
अमरोहा

कार्यालय जिलाधिकारी ज्योतिबाफूले नगर

सं०- 356 / न्याय सहायक/2012

दिनांक:- 04/5/2012

विषय- उत्तर प्रदेश रोड साईड लैण्ड कण्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-6(1) के अन्तर्गत धनौरा-अमरोहा-कॉठ मार्ग के किमी 19.00 पर ग्राम निजामपुर गर्वी के खसरा सं०- 403, 404, 405, 398, 399 में स्थित भूमि पर अनावासीय भवन निर्माण की अनुमति विषयक।

कमाल फारूकी,
चेयरमैन,
मेस्को पब्लिक स्कूल, अमरोहा,
निवासी अमरोहा, त्रिपोलिया, करवा व तहसील अमरोहा,
जानपद ज्योतिबाफूले नगर।

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र पर उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,अमरोहा, नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा व अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख०, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा से आख्या प्राप्त की गई। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,अमरोहा तथा अधिशासी अभियन्ता(प्रा०ख०), लोक निर्माण विभाग, अमरोहा तथा नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/उप जिलाधिकारी अमरोहा की आख्यानुसार आपको धनौरा-अमरोहा-कॉठ मार्ग के किमी 19.00 पर ग्राम निजामपुर गर्वी के खसरा सं०- 403, 404, 405, 398, 399 में स्थित भूमि पर आपके लीड डीड व खतौनी के आधार पर स्वामित्व वाली भूमि पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनावासीय भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है-

- 1- आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये मानचित्र में कोई अतिरिक्त भिन्नता कराने की आज्ञा नहीं है।
- 2- आपके द्वारा विभाग की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करने की आज्ञा नहीं है।
- 3- आपको पानी निकासी हेतु मार्ग के किनारे पक्की नाली का निर्माण अपने खर्चे पर करना होगा।
- 4- आपको लो०नि०वि० मार्ग तथा अपने भू-तल के मध्य पड़ने वाले पडुचं मार्ग में 60.00 से०मी० व्यास की पुलिया का निर्माण अपने खर्चे पर कराना होगा, जिसके लिये अनुमति पुनः रुपये 10.00 के स्टाम्प पेपर पर पट्टे के अनुबन्ध के नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
- 5- आपको प्रस्तावित (अनावासीय) भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की मध्य रेखा से 60.90फीट (18.50मीटर) की दूरी के अन्दर नहीं कराना होगा।
- 6- आपको इस निरापत्ति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त यदि प्रस्तावित निर्माण कार्य नगर पालिका/नगर पंचायत सीमा में है तो भवन निर्माण से पूर्व इसकी आवश्यक निरापत्ति प्रमाण पत्र स्थानीय नगर पालिका/नगर पंचायत से प्राप्त करनी होगी।
- 7- अनुमति दिये जाने के एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य आरम्भ करना होगा।
- 8- उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में लागू होने वाली विधि व्यवस्था एवं शासनादेशों की पालना बाध्यकारी होगी।
- 9- आपको भवन के निर्माण की अनुमति उ०प्र०रो०सा०लै०कं०एक्ट-1945 के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।
- 10- आप स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, नियमानुसार नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा से, मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।
- 11- यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण होता है तो आवेदक को नियमानुसार भूमि के अधिग्रहण हेतु सहमत होना होगा।

उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्ध के उल्लंघन होने या प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद तथा अन्य किसी प्रकार से विवाद होने अथवा अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक- अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता(प्रा०ख०), लो०नि०वि०, अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
ज्योतिबाफूले नगर।

अपर जिलाधिकारी,
ज्योतिबाफूले नगर।



आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड 3040
 धर्मपुरी मार्ग, 7 बालाबाग, लखनऊ 226001

सूचना
 क्रमांक - 3040/18

दिनांक - 21-07-2018
 ई-मेल - cbse@nic.nic.in

संख्या 1179/बोर्ड - साठप्रशाठ मान्यता (18-19) / 18 (43)

लखनऊ दिनांक 21-07-2018

प्रबन्धक

मेल्को इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल साइंसेज,
 निजामपुर गखी, धनौरा रोड, जिला-अमरोहा ।

विषय-

आयुर्वेदिक सपचारिका / आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु सत्या को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ

आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड 3040 की संकाय की बैठक दिनांक 18 एवं 19-07-2018 में की गई सिफारिस के आधार पर बोर्ड की बैठक दिनांक 21-07-2018 को प्रदान की गई स्वीकृति के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र को संकाय/बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक के लिए के लिए आयुर्वेदिक सपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को 30 सीटों एवं आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को 50 सीटों हेतु मान्यता/सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 01- बोर्ड द्वारा काउन्सिलिंग के द्वारा भेजे गये छात्रों के बाद रिक्त सीटों में प्रवेश बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों के अधीन संस्था स्वयं करेगी ।
- 02- प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2018 तक प्रवेश लिये जा सकेंगे । दिनांक 05 नवम्बर 2018 में प्रत्येक दरा में संस्थाएं अपनी प्रवेश सूची नय प्रपत्रों सहित बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की जायेगी । संकाय द्वारा प्रवेश सूची का परीक्षण करने के उपरान्त छात्रों को इन्फोर्मेशन नं० निर्गत किया जायेगा । तथा ऐसे ही छात्र बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे । यदि कोई संस्था उपरोक्त तिथि तक प्रेषित छात्रों की सूची जमा नहीं करती है तो उस संस्था को सब शून्य माना जायेगा । संस्था दिनांक 31 अक्टूबर 2018 तक छात्र/छात्राओं का प्रवेश लेगी ।

बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है । प्रत्येक पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा की जायेगी । जुटि पाये जाने पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है । आपके प्रशिक्षण केन्द्र को बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये अधिसूचनाओं/निर्देशों का पालन करना होगा ।

--2

Atul Kumar

-2-

- 06- बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क रु0 42,240-00 एवं उपचारिका का शिक्षण शुल्क रु0 36,000-00 प्रतिवर्ष निर्धारित है उक्त निर्धारित फीस की धनराशि संस्था छात्र/छात्राओं से लेगी। छात्रावास में रहने पर ही छात्रावास शुल्क लिया जा सकेगा।
- 06- सत्र 2018-19 की सम्बद्धता शुल्क रु0 25,000-00 (प्रति पाठ्यक्रम)का बैंक ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 05-11-2018 तक प्रविष्ट छात्रों की सूची के साथ जमा करना अनिवार्य है।
- 07- यह मान्यता आप द्वारा पैनल सदस्यों को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(Handwritten Signature)
 (डा० अखिलेश कुमार वर्मा)
 रजिस्ट्रार

पंजीकृत/ईमेल

प्रेषक,

रजिस्ट्रार
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बो चिकित्सा पद्धति बोर्ड
उ०प्र० लखनऊ ।

सेवा में,

डा० अजय कुमार
(ना० सदस्य, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बो चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ०प्र०)
राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कालेज तथा शिक्षालय, पाराणसी मो० नं० ५६३४१६२२६०

डा० प्रशान्त कुमार
(ना० सदस्य, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बो चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ०प्र०)
भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रूडकी रोड, मुजफ्फरनगर मो० नं० ०९५२७३९०३६

पत्रांक

858

डा० मो० जाहिद हुसैन
(ना० सदस्य, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बो चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ०प्र०)
शिफा क्लीनिक, हुसैनगंज, जी०टी०रोड, सिकन्दाराज, हाथरस मो० नं० ९४११६०७०५३,८२७३१२१४६५
/बोर्ड -सा०प्रशा०-मान्यता/१८ लखनऊ दिनांक ०८-०६-२०१८

विषय:-

आयुर्वेदिक /यूनानी उपचारिका/आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र २०१८-१९ हेतु
मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संस्थाओं का पैनल निरीक्षण ।

नहोदय

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ०प्र० की संज्ञा एवं बोर्ड की बैठक दिनांक ०३-०६-२०१८ में पारित प्रस्ताव
के अनुपालन में ना० अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं के पैनल निरीक्षण हेतु आपको पैनल सदस्य नामित किया गया है ।

18-19 की मान्यता हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम, पता, मोबाइल नं० तथा संचालित/प्रस्तावित पाठकयकर्मों का विवरण:-					
क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	प्रबन्धक/सचिव का नाम	मोबाइल नम्बर ई-मेल आई डी		
1	न्यू मुजफ्फरनगर आयुर्वेद नर्सिंग कालेज एवं हॉस्पिटल बड़ेडी रोड मु०नगर	डा० लताफत सचिव	9358913546		आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु

(Signature)

ENC-25

18	अस्ट्रान कालेज आफ मेडिकल साइंस, नूर नगर हापुड वाई पास नियर देहलीगेट, मेरठ	अस्ट्रान एजुकेशन समिति मेरठ प्रबन्ध श्री पवन गोयल	9412208408	आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु
19	कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस ग्राम-बाना भवना रोड मेरठ	कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट मेरठ प्रबन्धक श्री अभिषेक तैवतिया	953777500	आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु
20	एसडीएचएसओ आयुर्वेदिक पेश मेडिकल कालेज, हरिनापुर रोड भवना, मेरठ	कानाख्या एजुकेशन ट्रस्ट सचिव श्री विजेन्द्र सिंह		आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु
21	अमरदीप कालेज आफ नर्सिंग एण्ड फार्मसी 7 कि०मी० जलेश्वर रोड फिरोजाबाद	अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट फिरोजाबाद प्रबन्धक श्री विरवदीप सिंह	9837794357	आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु
22	श्री सत्य कालेज आफ आयुर्वेदिक नर्सिंग एण्ड पेश मेडिकल साइंसेज मल्लपुरा (लोधी राजपूत) पो०-पाकवाडा मुरादाबाद	श्री सत्य एजुकेशनल ट्रस्ट लोधीपुरा राजपूत पो०-पाकवाडा दिल्लीरोड मुरादाबाद । सचिव श्री अजयमलिक	9837033039	आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु
23	मेरठो इन्स्टीट्यूट आफ नर्सिंग एण्ड पेश मेडिकल साइंसेज, निजामपुर गरीबी धर्मोरा रोड अमरदीप	राजेश बेगम मुरिलम महाविद्यालय ट्रस्ट अमरदीप अमरदीप	9890331144	आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु
24	एसडीएचएसओ आयुर्वेदिक एण्ड फार्मसी शुंसी, इलाहाबाद	अग्रवाल एजुकेशनल सोसाइटी 1/4 लाला रामनारायण लाल रोड, इलाहाबाद । सचिव श्री उमंग अग्रवाल	9890331149	आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु
25	आनन्दमंगा फार्मसी एण्ड नर्सिंग कालेज, हरिकेलेन मुहल्ला पुराना धाना मटनी देवरिया	आनन्दमंगा सामाजिक शिक्षा समिति 10 / 237 इनकम टैक्स गली रावबनार देवरिया प्रबन्धक श्री विजेन्द्र कुमार राय	9450878180	आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट हेतु	आयुर्वेदिक उपचारिका हेतु

Atwankar Koushik

ENC-25

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिला अधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा (उत्तरांचल प्रदेश)

स्वीकृति-पत्र

पत्रांक 865 मानचित्र संख्या 354/2012 दिनांक 16/2/2013
श्री/श्रीमति/मैसर्स प्रबन्धक, राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय
अमरोहा, जिला अमरोहा, उत्तरांचल प्रदेश सं. 398/3
402/403/404
आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 14/9/2012 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित

भवन निर्माण की मौहल्ला/कालोनी/ग्राम दानौरा 2012 सं. 398/3 अमरोहा जिला अमरोहा
निम्नलिखित शर्तों (Conditions) के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासनीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका (सुधार मण्डल या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित (Effect) नहीं होता है।
3. मानचित्र जिसे प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय गौंगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी वहाँ शारदा अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह लगाये जायेंगे कि जब खुले तो उसके पल्ले (Laeves) किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव प्रोजेक्ट न हो।
7. विजली की लाइन 5 के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (विल्टिंग गेटेरियल) न रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूरा प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि भूके पर जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्केसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व को जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। भू-स्वामित्व किसी प्रकार का विवाद होने पर सभ्य न्यायालय में प्रभावित पक्षा द्वारा तय कराया जायेगा।
10. यदि मानचित्र उ० प्र० निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (Conditions) के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।

11- **उत्तरांचल एग्रीकल्चर, नू-कम्पार्टी प्रसा लेयट प्राई नियमों का पालन**
स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। आपका ध्यान नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा उ० प्र० (भवन निर्माण कार्य विनियम) अधिनियम 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रसारित आदेशों की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना है कि कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में आप कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

- 1- एक सैट स्वीकृत मानचित्र
- 2- कार्य पूरा होने का प्रमाण
- 3- प्राप्त करना अनिवार्य
- 4-

पत्रांक



प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा
(उत्तरांचल प्रदेश)
16/2/2013

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिला अधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा (ज्योतिबा फूले नगर)

स्वीकृति-पत्र

पत्रांक मानचित्र संख्या 608/2011 दिनांक 13/7/12
 श्री/श्रीमति/मैसर्स श्री. म. र. मैन श्री कमाल इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन पुल श्री नफीस
इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन निवासी मंडल लिफ्टोसम अमरोहा,
 आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 22/12/11 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित प्रो. 150 का क्षेत्र
भवन निर्माण की गौहल्ला/कालोनी/ग्राम विजयपुर गांव सीट नम्बर 27/11/11 का 398,799,403
 निम्नलिखित शर्तों (Conditions) के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासनीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका (सुधार मण्डल या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित (Effect) नहीं होता है।
3. मानचित्र जिसे प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी वहाँ शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह लगाये जायेंगे कि जब खुले तो उसके पल्ले (Laves) किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव प्रोजेक्ट न हो।
7. विजली की लाइन 5 के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मेटेरियल) न रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूरा प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि गौके पर जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। भू-स्वामित्व किसी प्रकार का विवाद होने पर सक्षम न्यायालय में प्रभावित पक्षों द्वारा तय कराया जायेगा।
10. यदि मानचित्र उ० प्र० निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम की धारा न० 7.2 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्तों (Conditions) के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्तें भी मान्य होगी।

11- भू-स्वामित्व के अभाव में भूमि अधिकारी द्वारा जारी न० 150 का क्षेत्र का प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य
 12- भू-स्वामित्व के अभाव में भूमि अधिकारी द्वारा जारी न० 150 का क्षेत्र का प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य
 स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। आपका ध्यान नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा उ० प्र० (भवन निर्माण कार्य विनियम) अधिनियम 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रसारित आदेशों की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना है कि कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में आप कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

- 1- एक सैट स्वीकृत मानचित्र
- 2- कार्य पूरा होने का प्रमाण
- 3- प्राप्त करना अनिवार्य
- 4-

पत्रांक



13/7/12
 प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी
 विनियमित क्षेत्र, अमरोहा
 (ज्योतिबा फूले नगर)

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिला अधिकारी

विनियमित क्षेत्र, अमरोहा



क्रमांक 12/3/2020

मानचित्र संख्या 76/2020

दिनांक 31/12/2020

श्री/श्रीमती/मैरिज

श्री सीफ हसन अकरी पुत्र-शक गोरख पब्लिक स्कूल

अमरोहा

आपके पार्षदा पत्र दिनांक 12/3/2020 को संदर्भ में आपके प्रस्तावित स्कूल निर्माण

भवन निर्माण की माहुरत/खलोजी/ग्राम खसखस सं 0398, 0399, 404, व 405 ग्राम निजामपुर

निम्नलिखित शर्तों (Conditions) के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है। शर्तों, धर्नीयशिड अमरोहा

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से केवल पाँच वर्ष वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासनीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका (सुधार मण्डल या किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित (Effect) नहीं होता है।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी वहाँ शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व छिड़कियाँ इस तरह लगाये जायेंगे कि जब खुले तो उसके पल्ले (Leaves) किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव प्रोजेक्ट न हो।
7. बिजली की लाइन 5 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखा जायेगा तथा बन्दे पानी की निकासी का पूरा प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्फेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। भू-स्वामित्व किसी प्रकार का विवाद होने पर सक्षम न्यायालय में प्रभावित पक्षों द्वारा तय कराया जायेगा।
10. यदि मानचित्र 30 प्र0 निर्माण कार्य विनियम अधिनियम की धारा नं0 7.2 अन्तर्गत किसी अन्य शर्तों (Conditions) के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्तें भी मान्य होंगी।
11. वृक्षारोपण का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।


स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। आपका ध्यान नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, अमरोहा द्वारा 30 प्र0 (भवन निर्माण कार्य विनियम) अधिनियम 1958 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रसारित आदेशों की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना है कि कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न प्रस्ताव में आप कार्य पूरा करेंगे कि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आदेश पत्र दे तथा बिना आज्ञा व समाप्त लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

1-एक सेट स्वीकृत मानचित्र



नियत प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी
विनियमित क्षेत्र, अमरोहा

Scanned with

<p>भारत (स्वास्थ्य एवं एन सी</p>	<p>परिषद् अंतरगत सांविधिक निकाय) Letter 299K/र 4 तल, प्लॉट नम्बर 2, मां आनन्दमयी मार्ग, -I, नई दिल्ली-110020 011-61299900-03 registrar@pci.nic.in</p>	 <p>कामधे नु चक्रवर्तुण्यु प्रामाण्यमस्तिरस्यम्</p>	<p>PHARMACY COUNCIL OF INDIA (Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare) Government of India NBCC Centre, 3rd Floor, Plot No. 2, Community Centre, Man Anandmai Marg, Okhla, Phase-I, New Delhi-110020 Telephone No. 011-61299900-03 E-mail: registrar@pci.nic.in</p>
--	---	--	--

Ref. No. PCI-4013/2023

86 45-46

Speed Post + E-Mail

RTI

- 6 MAR 2024

सेवा में
श्री सैयद अशर तोशिफ पुत्र श्री तोशिफ हसन
मीहल्ला गश्तियान अमरोहा-244 221 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल - ashhartauseef@gmail.com

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगना

संदर्भ: आपका ऑनलाइन आरटीआई आवेदन संख्या PHRCI/R/E/24/00055 तिथि 09.02.2024 (5/80)

महोदय,


यह आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दिनांक 09.02.2024 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि -

1 से 6 और 9 - कोई जानकारी नहीं मांगी गई है।

7 और 8 - यह सूचित किया जाता है कि संस्थान ने अपने ऑनलाइन एसआईएफ 2024-2025 पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मानचित्र और मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। दस्तावेजों की फोटोकॉपी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (जे) के तहत, तीसरे पक्ष की जानकारी फोटोकॉपी साझा नहीं की जा सकती।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पता है श्री अनिल मिश्र, अपीलीय प्राधिकारी और रजिस्ट्रार-सह-सचिव फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया एनबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र मां आनंदमई मार्ग ओखला चरण I, नई दिल्ली - 110020।

आपकी भवदीया



(प्रतिमा तिवारी)

उप सचिव एवं सीपीआईओ.